8

न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा।

आर0ई0आर0 केश नं0–140/2012–13

अंचल अधिकारी, गोड्डा

बनाम

गंगा सागर भगत

31/08/17

–: आदेश :–

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

वर्त्तमान प्रक्रिया अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–241/रा0, दिनांक–19.03.2013 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मौजा सरौनी के जमांवदी सं0–163 के जमीन रकवा–00–03–00 धूर जमीन से विपक्षी गंगासागर भगत, पे0–स्व0 राज किशोर भगत, सा0–सरौनी, अंचल–गोड्डा, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने के लिए प्रारम्भ किया गया है।

अंचल अधिकारी, गोड्डा ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा सरौनी जमावंदी सं0–163, के गोड़ाईत जमीन में से रकवा'00–03–00 धूर जमीन विपक्षी ने अवैध ढंग से कब्जा किया है। विपक्षी को कारण–पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिश का तामिला कराया गया। विपक्षी की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है। विपक्षी का कथन है कि मौजा सरौनी जमावंदी सं0–163, गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जीतु मिर्धा वो तीतु मिर्धा वो मितन मिर्धा, पे0–सरूप मिर्धा वो बैजू मिर्धा, पे0–गोजी मिर्धा के नाम से गोड़ाईत मन कहकर दर्ज है। गत सर्वे के बाद बैजू मिर्धा को छोड़कर सभी जमांवदी रैयत नावल्द फौत कर गये। कालांतर में बैजू मिर्धा को एक पुत्र जनमन मिर्धा हुए। जनमन मिर्धा भी अपने पीछे एक मात्र पुत्र गोवर्धन मिर्धा को छोड़कर फौत कर गये है। इस प्रकार गोवर्धन मिर्धा ही प्रश्नगत जमावंदी की जमीन के वारिश एवं हकदार हुए। चुँकि प्रश्नगत जमावंदी की जमीन गोड़ाईत मन कहकर दर्ज है। इसलिए बेलगान की जमीन थी। लेकिन जमीनदारी उन्मूलन के बाद प्रश्नगत जमावंदी की जमीन दखलकार रैयत के नाम से लगान का निर्धारण किया गया तथा दखलकार रैयत गोवर्धन मिर्धा के नाम से जमीन दर्ज किया गया। कालांतर में गोवर्धान मिर्धा ने प्रश्नगत जमावंदी की जमीन में दाग नं0–896 के अंतर्गत रकवा–00–02–00 धूर जमीन भूदान यज्ञ समिति देवघर को भूदान दान पत्र के माध्यम दान दिया। भूदान यज्ञ समिति देवघर ने दाग नं0–896 रकवा'00–02–00 धूर जमीन भूमिहीन व्यक्ति गंगासागर भगत को दानपत्र के माध्यम दिया। भूदान से दान पत्र में प्राप्त करने के उपरांत विपक्षी गंगासगर भगत ने उस पर आवासीय मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहे है। भूदान दान पत्र का भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के भूदान पट्टा सम्पुष्टि वाद सं0–03/93–94 आदेश दिनांक–17.10.1994 के द्वारा सम्पुष्ट भी किया गया है। इस प्रकार वादगत जमीन पर भूदान दान पत्र के आधार पर विपक्षी रकवा–00–02–00 धूर जमीन पर दखलकार है। जबकि अंचल अधिकारी, गोड्डा ने रकवा–00–03–00 धूर जमीन से उच्छेद करने के लिए प्रतिवेदित किया

है जो कि बिल्कुल ही निराधार है। क्योंकि विपक्षी भूदान दान पत्र के आधार पर दखलकार है एवं उस पर मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहें हैं।

विपक्षी के कारण–पृच्छा के आलोक में पुनः अंचल अधिकारी, गोड्डा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। अंचल अधिकारी, गोड्डा ने अपने पत्रांक–528/रा0, दिनांक–11.08.2014 से जाँच प्रतिवेदन प्रेषित किया है। अंचल अधिकारी, गोड्डा ने प्रतिवेदित किया है कि विपक्षी गंगासागर भगत को मौजा सरौनी के जमाबंदी सं0–163 के दाग नं0–896 रकवा–00–02–00 धूर जमीन बिहार भूदान यज्ञ समिति द्वारा भूदाता से दान में प्राप्त हुआ है। जिनकी सम्पुष्टि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गोड्डा के सम्पुष्टि वाद स0–03/1993–94 आदेश दिनांक–17.10.1994 के द्वारा की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी गंगासागर भगत अवैध ढंग से दखलकार नहीं है। बल्कि वे भूदान यज्ञ समिति से प्राप्त भूदान पत्र के अधार पर दखलकार हैं एवं भूदान पट्टा की सम्पुष्टि भमि सुधार उप समाहर्त्ता गोड्डा से सम्पुष्टि केश नं0–03/1993–94 के द्वारा की गई है।

अतः अंचल अधिकारी गोड्डा का प्रतिवेदन अस्वीकृत करते हुए वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
गोड्डा।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
गोड्डा।